फाइल सं. ए.12018/ 80/2019-लेप

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीसीडी अनुभाग)

विषय -क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान (आरएलटीआरआई), रायपुर छत्तीसगढ़ में धोबी, समूह 'ग' के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग के दिंनाक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान (आरएलटीआरआई), छत्तीसगढ़ में धोबी समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियों/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 753-क, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते है। baidyanath.prasad@nic.in

(बैद्यनाथ प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061510

नई दिल्ली
दिनांक 6-1-2020

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2019

सा.का.नि.................. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर (धोबी या प्रेसकर्मी) भर्ती नियमावली, 2006 का, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ में धोबी या प्रेसकर्मी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़, धोबी या प्रेसकर्मी (समूह-'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 होगा।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता**- वह व्यक्ति-

   क. जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, या

   ख. जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परन्तु यदि केंद्रीय सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं।	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
धोबी या प्रेसकर्मी	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सरकार सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयी	वेतन मैट्रिक्स (18,000-56,900रु.) में स्तर-1	लागू नहीं	18-25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण1: आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (तथा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम राज्य, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख	मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा समान योग्यता (किसी मान्य बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 10वीं उत्तीर्ण) टिप्पण 1: पूर्ण अर्हता प्राप्त अभयर्थियों के अलावा अन्य अभ्यार्थियों के मामले में योग्यता में छूट सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर दी जाती है। टिप्पण 2: यदि चयन में किसी चरण में सक्षम प्राधिकारी का मत है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इस समुदाय के ऐसे अभ्यार्थियों की संख्या पर्याप्त नहीं है जिनमें अपेक्षित अनुभव नहीं है तो इन	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा शत प्रतिशत टिप्पण- एक वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि के लिए दूर की गई प्रतिनियुक्ति तैनाती अथवा लंबी बिमारी अथवा अध्ययन अवकाश अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों के चलते हुई रिक्तियों को निम्नलिखित केंद्रीय सरकारी अधिकारियों के बीच में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाएगा- (क) वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु.) में स्तर-1 में नियमित आधार पर समरूप पद; और (ख) कॉलम-7 के अंर्तगत सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित योग्यता।

					खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षदीप संघ शासित प्रदेश में अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं होगी)। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय (इम्प्लायमेंट एक्सचेंज) के जरिए की गई भर्ती के मामले में, आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख रोजगार कार्यालय द्वारा तय की गई उम्मीदवारों के नाम प्रेषित करने की अंतिम तारीख होगी।	समुदाय से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव संबंधित योग्यता में छूट दी जाती है।			

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण हेतु) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- 1. निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर – अध्यक्ष 2. उप-निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान - सदस्य 3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रायपुर-सदस्य	लागू नहीं

फा.सं. ए.12018/80/2019-कुष्ठ

(वैद्यानाथ प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार